[2018] 5 एस. सी. आर 287

मंगला राम

वी.

मूल बीमा कंपनी। लिमिटेड। & ओआरएस।

(सिविल अपील सं। 2499-2500 2018 का)

अप्रैल 06,2018

[दीपक मिश्रा, सीजेआई और ए. एम. खानविलकर, जे.]

मोटर वाहन अधिनियम, 1988: s.166-- क्षतिपूर्ति

अंशदायी लापरवाही-दावेदार का मामला था कि एक दुर्भाग्यपूर्ण पर

जिस दिन वह मोटरसाइकिल चला रहा था, उस दिन प्रतिवादी नं. 2 जिसके परिणामस्वरूप गंभीर चोटें आईं और अंततः

दावेदार द्वारा प्रस्तुत गवाहों के साक्ष्य को स्वीकार नहीं किया, हालांकि पुलिस जांच रिपोर्ट के आधार पर राय दी गई कि

दुर्घटना जीप के कारण हुई थी-न्यायाधिकरण ने यह भी नोट किया कि

स्थल योजना और निष्कर्ष निकाला कि दावेदार सड़क के गलत तरफ गाड़ी चला रहा था और दुर्घटना में योगदान दिया और तदनुसार

क्षतिपूर्ति प्रदान की गई-उच्च न्यायालय ने पारित पुरस्कार को रद्द कर दिया

दावेदार अपनी मोटरसाइकिल चलाते समय लापरवाही कर रहा था और दावेदार का वह बयान कि जीप का बंपर उसकी मोटरसाइकिल के पीछे से टकरा गया था जाँच रिपोर्ट द्वारा खंडन किया गया था जिसमें दर्ज किया गया था कि यह

यह बर्दाश्त नहीं किया कि जीप एक दुर्घटना में शामिल थी-तत्काल

दावेदार द्वारा दायर अपील-आयोजितः उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण के समग्र दृष्टिकोण को उलटने में स्पष्ट त्रुटि की

आरोप पत्र, एफ. आई. आर., जीप का हिस्सा बनने वाले गवाहों का बयान जब्ती रिपोर्ट-वास्तव में, उच्च न्यायालय से प्रभावित था

यांत्रिक जाँच रिपोर्ट जिसमें कहा गया था कि केवल एक खरोंच

वाहन के बाएँ टायर के मडगार्ड पर निशान लगा हुआ था

उस आधार पर, उच्च न्यायालय ने कहा कि उसी में था

दावेदार के मामले में विरोधाभास-यह निष्कर्ष आधारित था

अनुमानों और अनुमानों पर और प्रासंगिक की उपेक्षा में भी

तथ्य यह है कि पुलिस ने जांच के बाद वाहन को जब्त कर लिया था, दुर्घटना की तारीख से केवल एक महीने के बाद और इस बीच में उसकी मरम्मत होने की संभावना नहीं थी

खारिज कर दिया -

इसके अलावा, यह तथ्य कि आपत्तिजनक जीप को चलाया गया था

प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जल्दबाजी और लापरवाही से जब यह दावेदार की मोटरसाइकिल से टकरा गई जिससे दुर्घटना हुई, तो इसका पता लगाया जा सका।

गवाहों के साक्ष्य और पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र की सामग्री से, प्रतिवादी संख्या 2 का नाम लेते हुए- दावेदारों द्वारा स्थापित आपत्तिजनक जीप के चालक की ओर से लापरवाही की कुंजी का निर्णय न्यायाधिकरण द्वारा संभावना की प्रधानता की कसौटी पर किया जाना आवश्यक था और निश्चित रूप से उचित संदेह से परे सबूत के मानक द्वारा नहीं-आगे निष्कर्ष

कि मोटर साइकिल सड़क के बीच में एक पैर गलत पाया गया था, यह मानने का आधार नहीं हो सकता है कि अपीलार्थी सड़क पर गाड़ी चला रहा था। प्रासंगिक समय पर सड़क का गलत पक्ष-इस प्रकार, न्यायाधिकरण का यह निष्कर्ष कि दावेदार ने गाड़ी चलाकर दुर्घटना की घटना में योगदान दिया

सड़क के गलत तरफ मोटरसाइकिल गलत थी और नहीं हो सकती

कायम रहा।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988: s.166-मुआवजे की मात्रा-न्यायाधिकरण ने दावेदार-अपीलार्थी के दावे को नोट किया कि वह

अपने वेतन के लिए प्रति माह Rs.1500/- और नियोक्ता से भोजन भत्ते के लिए प्रति माह <ID2/- प्राप्त कर रहा था-इस तथ्य पर कि दावेदार के पास भारी परिवहन मोटर वाहन ड्राइविंग लाइसेंस था, संदेह नहीं किया गया है-रिकॉर्ड पर ड्राइविंग लाइसेंस सीमित अवधि के लिए वैध होने के कारण, दावेदार के दावे पर विश्वास करने का आधार नहीं हो सकता है, जो नियोक्ता द्वारा विधिवत समर्थित है, कि दावेदार अपने नए ट्रक पर उसके द्वारा नियोजित था-उक्त आय के अलावा, दावेदार ने खेती के खेतों से प्रति माह <ID3/- की कमाई करने का दावा किया-हालाँकि, न्यायाधिकरण ने मासिक नुकसान का अनुमान लगाया।

क्षतिपूर्ति राशि की गणना करते समय दावेदार को प्रति माह Rs.520/- पर आय इस निष्कर्ष पर कि दावेदार की पूर्ण गैर-रोजगार योग्यता के बारे में कोई ठोस सबूत नहीं था-इसके अलावा, न्यायाधिकरण द्वारा भविष्य की संभावनाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था-इसलिए न्यायाधिकरण को उस आधार पर आय के नुकसान की गणना करनी चाहिए थी-इसके अतिरिक्त, दावेदार को अपने दाहिने पैर के विच्छेदन के कारण स्थायी रूप से कृत्रिम पैर का उपयोग करने के लिए मजबूर किया जाएगा।

उसका जीवनकाल-इस संबंध में न्यायाधिकरण द्वारा कोई प्रावधान नहीं किया गया था-इन शीर्षों पर, दावेदार निश्चित रूप से बढ़े हुए मुआवजे का हकदार है-40 प्रतिशत की स्थायी अक्षमता के कारण मासिक आय के नुकसान को देखते हुए, अपीलार्थी को रुपये का हकदार माना जाता है।

मूल बीमा कंपनी। लिमिटेड। & ओआरएस।

मोटरसाइकिल मरम्मत, मानसिक और शारीरिक समस्या अपीलार्थी है

अतिरिक्त रूप से एक की खरीद के लिए चिकित्सा खर्च का हकदार है

प्रोस्थेटिक पैर, रुपये में परिमाणित। 25,000 / - .

मोटर वाहन अधिनियम, 1988: s.166-क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करने के लिए बीमाकर्ता की देयता-बीमा कंपनी ने इस पर देयता से इनकार कर दिया

इस आधार पर कि कंपनी को बीमा प्रीमियम के लिए कोई भुगतान प्राप्त नहीं हुआ था क्योंकि कथित रूप से जीप के लिए लिया गया कवर नोट तत्कालीन विकास अधिकारी से प्राप्त किया गया था, जिसे बाद में बीमा कंपनी द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था और इसलिए यह धोखाधड़ी थी। बीमा कंपनी यह दिखाने में सफल रही है कि उल्लंघन करने वाली जीप के संबंध में कोई बीमा पॉलिसी जारी नहीं की गई थी-हालांकि, चालक और वाहन के मालिक का दावा

अपराध करने वाली जीप इस हद तक कि उनके पास बीमा कंपनी के तत्कालीन विकास अधिकारी द्वारा जारी एक कवर नोट है

इस तथ्य के साथ स्वीकार किया गया कि कवर नोट जारी किया गया था

उस समय के विकास अधिकारी जब वे अभी भी थे

बीमा कंपनी के साथ काम करना-इसका पालन करना चाहिए कि तब

विकास अधिकारी बीमा की ओर से कार्य कर रहे थे।

कंपनी, भले ही बीमा कंपनी किसी भी मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी न हो क्योंकि कोई बीमा पॉलिसी नहीं थी

उल्लंघन करने वाले वाहन के संबंध में जारी किया गया, बहुत कम एक वैध बीमा पॉलिसी-इसलिए, पर्याप्त न्याय करने के लिए, "भुगतान और वसूली" के सिद्धांत का आह्वान किया जाता है-सिद्धांत/सिद्धांत-"वेतन और वसूली" का सिद्धांत

ठीक हो जाओ "।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. न्यायाधिकरण ने जीप No.RST-4701 की भागीदारी के बारे में पीडब्लू-1, पीडब्लू-2 और पीडब्लू-4 के संस्करण को स्वीकार नहीं किया।

लेकिन उनके संस्करण को पूरी तरह से त्याग नहीं दिया। इन बातों के प्रमाण

गवाहों ने इस हद तक लगातार कहा है कि जब अपीलार्थी उचित समय पर अपनी मोटरसाइकिल पर सवार था, तेज गति से आ रही एक हरी जीप ने मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी

गंभीर चोटों पर संदेह नहीं था। उल्लेख करने के अलावा अपराध करने वाले वाहन का वर्णन "जीप" के रूप में भी उनके पास है

इसके रंग (हरा) के बारे में बात की और यह प्रदर्शित कर रहा था

जीप के किनारे पर कांग्रेस पार्टी के झंडे और बैनर लगे हुए हैं। अन्य में

शब्दों में, उनका संस्करण जीप संख्या, [2018] 5 एस. सी. आर. को नोट करने तक सीमित है।

स्वीकार नहीं किया गया। इसके अलावा, न्यायाधिकरण ने प्रतिवादी संख्या 2 (डी. डब्ल्यू.-1) और डी. डब्ल्यू.-2 के साक्ष्य पर भरोसा किया, जिन्होंने कहा था कि जीप को सरपंच के चुनाव अभियान में तैनात किया गया था और इस प्रकार दुर्घटना में वाहन की संलिप्तता से इनकार किया था। फिर भी, न्यायाधिकरण ने तब एफ़. आई. आर. और

दुर्घटना के संबंध में दायर आरोप-पत्र में प्रतिवादी संख्या 2 को अभियुक्त के रूप में नामित किया गया है। न्यायाधिकरण ने प्रतिलिपि पर भरोसा रखा

एफ. आई. आर. साइट मैप, जीप सीजर रिपोर्ट, एक्स-रे और इंजरी रिपोर्ट की चालान प्रति यह राय देने के लिए कि अपराध की जांच के दौरान एकत्र किए गए इन पुलिस रिकॉर्डों ने न केवल इस बात की पुष्टि की कि एक दुर्घटना हुई थी, बल्कि अपमानजनक जीप की संलिप्तता का भी संकेत दिया, जिसे संबंधित समय पर प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा चलाया गया था। न्यायाधिकरण ने यह निष्कर्ष निकाला कि इस संबंध में जांच एजेंसी की राय से असहमत होने का कोई कारण नहीं है। साक्ष्य की संपूर्णता के आधार पर, न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया था कि जीप जो संबंधित समय पर प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा चलाई जा रही थी, दुर्घटना में शामिल थी, जिससे अपीलार्थी को गंभीर चोटें आईं। दुर्घटना में जीप की संलिप्तता के बारे में पूरे साक्ष्य के समग्र विश्लेषण पर न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज तथ्य के निष्कर्ष को उलटने के लिए उच्च न्यायालय के साथ जिन कारणों का विचार किया गया, उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जीप को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जल्दबाजी और लापरवाही से चलाया गया था जब यह अपीलार्थी की मोटरसाइकिल से टकरा गई थी जिससे

दुर्घटना। यह गवाहों के साक्ष्य और पुलिस द्वारा दायर आरोप-पत्र की सामग्री से समझा जा सकता है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 का नाम है। अभिवचनों की संपूर्णता पर विचार करते हुए, अभिलेख पर साक्ष्य और परिस्थितियाँ और विशेष रूप से निष्कर्ष

की लापरवाही के तथ्य पर न्यायाधिकरण द्वारा अभिलिखित प्रतिवादी संख्या 2, अपमानजनक जीप के चालक, उच्च न्यायालय ने एक विपरीत दृष्टिकोण लेने में स्पष्ट त्रुटि की जो रिकॉर्ड के सामने एक स्पष्ट त्रुटि है और स्पष्ट रूप से गलत है। [पैरा 14,20,21] [300-ई-एच; 307-बी-सी, एफ-एच; 308-ए-बी]

डुल्सिना फर्नांडीस और ओआरएस। वी. जोकिम जेवियर क्रूज़ और एनर। (2013) 10 एस. सी. सी. 646 [2013] 10 एस. सी. आर. 480; यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड v. शिला दत्ता (2011)

10 एससीसी 509: [2011] 14 एससीआर 763-पर निर्भर।

मीनू बी मेहता और अन्र। वी. बालकृष्ण रामचंद्र नयन और अन्र। (1977) 2 एससीसी 441: [1977] 2 एस. सी. आर. 886; मंगला राम बनाम।

मूल बीमा कंपनी। लिमिटेड। & ओआरएस।

ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मीना वरियाल (2007) 5 एस. सी. सी. 428 [2007] 4 एस. सी. आर. 641; सुरेंद्र कुमार अरोड़ा

& एन. आर. वी. डॉ. मनोज बिस्ला और अन्य। (2012) 4 एस. सी. सी. 552-लागू नहीं होता है।

कौश्रुमा बेगम और ओआरएस। वी. द न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य। (2001) 2 एस. सी. सी 9: [2001] 1 एससीआर 8; चरण लाल साहू बनाम। भारत संघ (1990) 1 एससीसी 613: [1989] 2 पूरक। एस. सी. आर. 597; यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन। वी. भारत संघ (1991) 4 एससीसी 584: [1991] 1 पूरक।

एससीआर 251; गुजरात एसआरटीसी बनाम। रमनभाई प्रभातभाई (1987) 3 एससीसी 234: [1987] 3 एस. सी. आर. 404-संदर्भित।

राइलैंड्स वी। फ्लेचर (1861-73) सभी ER प्रतिनिधि 1-संदर्भित

को।

2. अपीलार्थी की आलोचना में तथ्य है कि दुर्घटना के बाद जिस स्थान पर मोटर वाहन पड़ा हुआ पाया गया था, वह यह मानने का आधार नहीं हो सकता है कि यह संबंधित समय पर उस स्थान में या उसके आसपास चलाया गया था। यह सुरक्षित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि इस प्रकृति की दुर्घटना के बाद जिसमें अपीलार्थी को गंभीर चोटें आईं, जिससे घुटने के स्तर से ऊपर उसका दाहिना पैर काटने की आवश्यकता पड़ी, टक्कर के बाद मोटरसाइकिल को आगे धकेल दिया जाएगा और तेज गति से आ रही जीप से टकरा दिया जाएगा। न तो न्यायाधिकरण और न ही उच्च न्यायालय ने पाया है कि स्थल मानचित्र में उल्लिखित स्थान, सड़क के बीच में एक पैर गलत दिशा में वह स्थान था जहां वास्तव में दुर्घटना हुई थी। हालांकि, खोज यह है कि साइट के नक्शे के अनुसार, मोटरसाइकिल उस स्थान पर पड़ी मिली थी। यह मानने का आधार नहीं हो सकता है कि अपीलार्थी उपयुक्त समय पर सड़क के गलत तरफ मोटरसाइकिल चला रहा था। इसके अलावा, उत्तरदाताओं ने यह इंगित करने के लिए कोई विपरीत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया कि मोटरसाइकिल गलत दिशा में चलाई जा रही थी

सड़क के उस समय जब उल्लंघन करने वाले वाहन ने उसे टक्कर मार दी थी। इस प्रकार, अंशदायी के मुद्दे का जवाब देने के लिए कोई सबूत नहीं है।

अपीलार्थी के खिलाफ लापरवाही। [पैरा 23,24] [311-ए-ई, एफ-जी]

3. अपीलार्थी को अपने दाहिने पैर के विच्छेदन के कारण अपने जीवनकाल के दौरान स्थायी रूप से कृत्रिम पैर का उपयोग करने के लिए मजबूर किया जाएगा।

इस संबंध में न्यायाधिकरण द्वारा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इन शीर्षों पर, अपीलार्थी निश्चित रूप से बढ़े हुए मुआवजे का हकदार है। [पैरा 25] [312-सी-डी] [2018] 5 एस. सी. आर.

4. उत्तरदाताओं नं। 2 और 3 ने एक कवर नोट पर भरोसा किया था जो बीमा कंपनी के अनुसार धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था

तत्कालीन विकास अधिकारी, जिन्हें बाद में बीमा कंपनी ने बर्खास्त कर दिया था। उनके पास पड़े कुछ कवर नोटों के दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। बीमा कंपनी यह दिखाने में सक्षम रही है कि कंपनी को बीमा प्रीमियम के लिए कोई भुगतान नहीं मिला था और न ही कोई बीमा पॉलिसी।

उल्लंघन करने वाले वाहन (जीप) के संबंध में जारी किया गया था। उल्लेखनीय है कि कवर नोट तत्कालीन द्वारा जारी किया गया है।

विकास अधिकारी उस समय जब वे अभी भी बीमा कंपनी के साथ काम कर रहे थे। लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 बीमा कंपनी के विकास अधिकारी द्वारा जारी किए गए कवर नोट के लिए, जब वह अभी भी प्रतिवादी संख्या 1 के साथ काम कर रहे थे, पर्याप्त न्याय करने के लिए, "भुगतान और वसूली" के सिद्धांत का आह्वान किया जाता है। [पैरा 26] [312-डी-एच; 313-ए-सी]

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम स्वर्ण सिंह और अन्य।

(2004) 3 एससीसी 297 [2004] 1 एससीआर 180; राष्ट्रीय

बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी और अन्य। आकाशवाणी 2017

एससी 5157-पर भरोसा किया।

न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम रुला एंड ओर्स (2000) 3

एस. सी. सी. 195 [2000] 2 एस. सी. आर. 148-लागू नहीं होता।

कौश्रुमा बेगम और अन्य। वी. द न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य। (2001) 2 एस. सी. सी 9: [2001] 1 एस. सी. आर. 8; डुल्सिना फर्नांडिस और ओ. आर. एस. वी. जोकिम जेवियर क्रूज़

और एन. आर. (2013) 10 एससीसी 646: [2013] 10 एससीआर 480; बिमला देवी और अन्य। वी. हिमाचल सड़क परिवहन निगम और ओआरएस। (2009) 13 एससीसी 530: [2009] 6 एस. सी. आर. 362; रवि कपूर बनाम राजस्थान राज्य (2012) 9 एससीसी 284: [2012] 10 एस. सी. आर. 229; राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम। प्रणय सेठी और अन्य। ए. आई. आर. 2017 एस. सी. 5157; किशन गोपाल और अन्र। वी. लाला और ओआरएस। (2014) 1 एससीसी 244: [2013] 10 एससीआर 793; हरबंस लाल बनाम। हरजिंदर पाल 2015 एस. सी. सी.

ऑनलाइन पी एंड एच 9926; न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड v.

पझानियामल और ओआरएस। 2011 एस. सी. सी. ऑनलाइन केर 1881;

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम दीपक गोयल 2014 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 362; मनीषा बनाम। उमाकांत मारोतराव कोल्हे 2015 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 4613; महावती देवी मंगला राम बनाम।

मूल बीमा कंपनी। लिमिटेड। & ओआरएस।

वी. शाखा प्रबंधक 2017 एस. सी. सी. ऑनलाइन पैट 1145; नया इंडिया एस्योरेंस कं. लिमिटेड बनाम रुला एंड ओआरएस (2000) 3 एससीसी

195 : [2000] 2 एस. सी. आर. 148; ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम।

मीना वरियाल (2007) 5 एस. सी. सी. 428: [2007] 4 एससीआर 641;

नयन और अन्र (1977) 2 एस. सी. सी. 441: [1977] 2 एससीआर 886; सुरेंद्र कुमार अरोड़ा और अन्र। वी. डॉ. मनोज बिस्ला और

ओआरएस। (2012) 4 एस. सी. सी. 552; एन. के. वी. ब्रदर्स। (पी) लिमिटेड बनाम।

एम. करुमई अम्मल और अन्य। (1980) 3 एससीसी 457: [1980]

3 एससीआर 101; चरण लाल साहू बनाम। भारत संघ (1990)

1 एससीसी 613: [1989] 2 पूरक। एस. सी. आर. 597; यूनियन कार्बाइड

कॉर्प. वी. भारत संघ (1991) 4 एससीसी 584: [1991] 1

पूरक। एससीआर 251; गुजरात एसआरटीसी बनाम। रमनभाई

प्रभातभाई (1987) 3 एससीसी 234: [1987] 3 एससीआर 404;

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम स्वर्ण सिंह और अन्य।

(2004) 3 एस. सी. सी. 297 [2004] 1 एस. सी. आर. 180 संदर्भित।

(1861-73) सभी ई. आर. प्रतिनिधि 1-संदर्भित

राइलैंड्स वी। फ्लेचर को।

मामला कानून संदर्भ

[2001] 1 एस. सी. आर 8

पैरा

7

संदर्भित किया गया है

[2013] 10 एससीआर 480

उस पर भरोसा करें

पैरा

7

[2009] 6 एससीआर 362

संदर्भित किया गया है

पैरा

7

[2012] 10 एससीआर 229

संदर्भित किया गया है

पैरा

7

उस पर भरोसा करें

पैरा

7

आकाशवाणी 2017 एससी 5157[2013] 10 एससीआर 793

संदर्भित किया गया है

पैरा

7

अप्रयोज्य रखा गया

[2000] 2 एससीआर 148

पैरा

9

अप्रयोज्य रखा गया

[2007] 4 एससीआर 641

पैरा

9

[1977] 2 एससीआर 886

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा

9

(2012) 4 एस. सी. सी. 552

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा

9

[1980] 3 एससीआर 101

संदर्भित किया गया है

पैरा

18

[2011] 14 एससीआर 763

उस पर भरोसा करें

पैरा

19

[1989] 2 पूरक। एससीआर 597

संदर्भित किया गया है

पैरा

22 [2018] 5 एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1991] 1 पूरक। एससीआर 251

संदर्भित किया गया है

पै

रा 22

[1987] 3 एससीआर 404

पै

रा 22

संदर्भित किया गया है

[2004] 1 एससीआर 180

उस पर भरोसा करें

पै

रा 26

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 2499

2500 2018 से।

उच्च न्यायालय के 05.01.2017 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2001 की एस. बी. सिविल विविध अपील No.273 से संबंधित 2001 की एस. बी. सिविल विविध अपील संख्या 290 में जोधपुर में राजस्थान के लिए न्यायपालिका

ऋषभ संचेती, सुश्री पद्म प्रिया, सुश्री पारिजात भारद्वाज,

पी. वी. सरवन राजा, ध्रुव शर्मा, जयवंत पाटनकर, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

के. के. भट, अजय पाल, सुश्री ऐश्वर्या भाटी, जयदीप सिंह, टी. एम.

पात्रा, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. एम. खानविलकर, जे. 1. वर्तमान अपीलों में,

अपीलार्थी/दावेदार ने 5 1 1 5 जनवरी, 2017 के फैसले को चुनौती दी है।

राजस्थान के लिए उच्च न्यायालय, जोधपुर पीठ ने 2001 की एस. बी. सिविल विविध अपील Nos.273 और 2001 की 290 में पारित किया, जिसने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ['न्यायाधिकरण'] के प्रत्यर्थी Nos.2 और 3 (क्रमशः उल्लंघनकारी वाहन के चालक और मालिक) के कहने पर अपीलार्थी को मुआवजा देने के फैसले को दरकिनार कर दिया और मुआवजे की राशि में वृद्धि के लिए अपीलार्थी के अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया।

2. अपीलार्थी का आरोप है कि 10 फरवरी, 1990 को या उसके आसपास,

जब वह अपनी मोटरसाइकिल चला रहा था, जिसमें नं। आर. जे.-19-6636, उन्हें जीप नं. आर. एस. टी.-4701, प्रत्यर्थी संख्या 3 के स्वामित्व में है और कथित तौर पर उस समय प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा चलाया जा रहा था, जिसके परिणामस्वरूप गंभीर चोटें आईं और अंततः घुटने के ऊपर उसका दाहिना पैर काट दिया गया। अपीलार्थी ने बाद में न्यायाधिकरण, जोधपुर के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 बीमा कंपनी सहित उत्तरदाताओं के खिलाफ मुआवजे की मांग की गई। उन्होंने 40 प्रतिशत स्थायी अक्षमता और कार्यात्मक अक्षमता का दावा करते हुए कहा कि भारी परिवहन वाहन (एच. टी. वी.) चलाने की उनकी प्राथमिक आजीविका उनके कारण कम हो गई थी।

विच्छेदन, और रुपये के मुआवजे की मांग की। 11,17,000 / - .

मंगला राम वी. मूल बीमा कंपनी। लिमिटेड। & ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

उत्तरदाता Nos.2 और 3 ने दुर्घटना और जीप के शामिल होने से इनकार किया। प्रतिवादी नंबर 1 बीमा कंपनी ने तर्क दिया कि कथित रूप से जीप के लिए लिया गया कवर नोट धोखाधड़ी था। कवर नोट इसके तत्कालीन विकास अधिकारी द्वारा अनधिकृत रूप से दिया गया था, कंपनी के पास कोई प्रीमियम जमा नहीं किया गया था और इस संबंध में कोई नीति जारी नहीं की गई थी। इस प्रकार, जीप का वैध बीमा नहीं किया गया था।

3. 22 नवंबर, 2000 के अपने फैसले में न्यायाधिकरण ने

अभिलेख पर साक्ष्य पर विस्तार से चर्चा की। पी. डब्ल्यू. 2 (चैनाराम) और पी. डब्ल्यू. 4 (थानाराम), जो दुर्घटना के बाद अपीलार्थी को अस्पताल ले गए थे, ने बयान दिया कि दुर्घटना के बाद दुर्घटना का कारण जीप थी।

आगे रुककर उन्होंने बैकलाइट में जीप का नंबर नोट किया और आगे, उन्होंने जीप में सवार यात्रियों द्वारा चालक का नाम पुकारते हुए सुना। हालाँकि, न्यायाधिकरण ने पाया कि जीप नंबर को नोट करने और चालक का नाम सुनने का उनका बयान अप्राकृतिक प्रतीत होता है। न्यायाधिकरण ने वाहन के विवरण के बारे में अपीलार्थी (पीडब्लू1) के कथन को भी विश्वसनीय नहीं होने के रूप में खारिज कर दिया। न्यायाधिकरण ने तब बचाव पक्ष के गवाहों के साक्ष्य को नोट किया, कि विचाराधीन जीप दुर्घटना के क्षेत्र के पास कहीं नहीं थी। हालाँकि, न्यायाधिकरण ने राय दी कि दुर्घटना जीप के कारण हुई थी।

पुलिस द्वारा दर्ज की गई जाँच रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि जब उन्होंने जब्त किया

दुर्घटना के एक महीने बाद जीप के बाईं ओर ऊपरी फुटबोर्ड पर टायर के मडगार्ड पर खरोंच आ गई। न्यायाधिकरण

पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र (Exh.1) पर भी भरोसा किया गया, जिसमें कहा गया है कि दुर्घटना अपीलार्थी और अन्य गवाहों (रूपराम, थानाराम और प्रताप सिंह) द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर जीप के कारण हुई थी। न्यायाधिकरण ने कहा कि पुलिस के निष्कर्ष से असहमत होने का कोई कारण नहीं है। संक्षेप में, न्यायाधिकरण ने अपीलार्थी के गवाहों के साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया। विचाराधीन जीप द्वारा दुर्घटना की घटना, अविश्वसनीय के रूप में, लेकिन फिर भी जांच रिपोर्ट के साथ-साथ उस संबंध में पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र पर भी भरोसा किया गया, जिसका समर्थन दो अन्य गवाहों ने किया, जिन्होंने न्यायाधिकरण के समक्ष गवाही नहीं दी।

4. न्यायाधिकरण ने तब दुर्घटना के स्थल मानचित्र (Exh.2) का उल्लेख किया, ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि अपीलार्थी सड़क के बीच से गलत तरफ अपनी मोटरसाइकिल पर एक पैर चला रहा था और इसलिए, लापरवाही से दुर्घटना में योगदान दिया था। ट्रिब्यूनल ने प्रतिवादी नंबर 1 बीमा कंपनी की याचिका को भी स्वीकार कर लिया कि आपत्तिजनक जीप के संबंध में कवर नोट धोखाधड़ी था। न्यायाधिकरण ने साक्ष्य [2018] 5 एस. सी. आर. को स्वीकार कर लिया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रतिवादी संख्या 1 बीमा कंपनी के शाखा प्रबंधक, गवाह डी. डब्ल्यू. 4 का कहना है कि कंपनी को संबंधित कवर नोट के तहत कोई प्रीमियम प्राप्त नहीं हुआ था और उस संबंध में कोई बीमा पॉलिसी जारी नहीं की गई थी। डी. डब्ल्यू. 4 ने बयान दिया था कि कवर नोट कंपनी के पास जमा नहीं किया गया था।

इसके अलावा, संबंधित विकास अधिकारी, जिनके हस्ताक्षर कवर नोट पर थे, उन्हें प्रतिवादी नंबर 1 बीमा कंपनी से हटा दिया गया था, लेकिन उनके पास संबंधित कवर नोट सहित कुछ कवर नोट थे। डी. डब्ल्यू. 4 ने कहा कि उक्त कवर नोट के आधार पर कोई बीमा पॉलिसी जारी नहीं की गई थी। ट्रिब्यूनल ने तब पाया कि यह संभव है कि विकास अधिकारी ने कवर नोट की तारीख को पीछे कर दिया हो और कंपनी के पास पॉलिसी जारी करने के लिए पैसा जमा नहीं किया हो। न्यायाधिकरण ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया कि वाहन का बीमा कंपनी द्वारा नहीं किया गया था

और, इसलिए, कंपनी उत्तरदायी नहीं थी।

5. उपरोक्त टिप्पणियों के आधार पर, न्यायाधिकरण ने

अपीलार्थी को हुई चोटों और गणना किए गए मुआवजे का लेखा-जोखा रखें

से रु. 1,27,000 / - लेकिन, अपीलार्थी की कथित लापरवाही के कारण, राशि को आधा कर दिया गया और अंत में रु। 63,500 / - प्रत्यर्थी द्वारा देय अपीलार्थी को सं। 2 और 3 संयुक्त रूप से।

6. अपीलार्थी ने एक अपील (एस. बी. सिविल विविध) दायर की। की अपील No.273

2001) वृद्धि के लिए जबकि प्रतिवादी संख्या। 2 और 3 (जीप के चालक और मालिक, क्रमशः) ने न्यायाधिकरण के फैसले को चुनौती दी (द्वारा

एस. बी. सिविल विविध का तरीका। 2001 की अपील No.290), उच्च न्यायालय के समक्ष

एस.

राजस्थान की जोधपुर पीठ। 5 तारीख के अपने फैसले में

जन

वरी, 2017,

उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि न्यायाधिकरण के निष्कर्ष गलत, अविश्वसनीय और साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं थे। इसके अलावा, न्यायाधिकरण का यह तर्क कि वह पक्षों के मौखिक साक्ष्य पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन फिर भी केवल पुलिस रिपोर्ट के आधार पर दावेदार के पक्ष में मुद्दे का जवाब दिया था, इस आधार पर कि पुलिस द्वारा निकाले गए निष्कर्ष पर विश्वास न करने का कोई कारण नहीं था, त्रुटिपूर्ण और गलत था। उच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायाधिकरण वाहन की संलिप्तता के बारे में आश्वस्त नहीं था, जिसके बावजूद उसने माना कि संलिप्तता साबित हुई थी। इसके अलावा, न्यायाधिकरण द्वारा जीप के चालक की लापरवाही के बारे में कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया था, बल्कि यह पाया गया कि अपीलार्थी ने अपनी मोटरसाइकिल चलाते समय लापरवाही की थी। उच्च न्यायालय ने

उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि केवल आरोप पत्र दाखिल करना, बिना किसी दोषसिद्धि के, प्रतिवादी संख्या द्वारा लापरवाही साबित करने के लिए अपर्याप्त था। 2 और 3. इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय ने यह भी माना कि मंगला राम बनाम का बयान।

मूल बीमा कंपनी। लिमिटेड। & ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

अपीलार्थी, जिसमें उसने दावा किया था कि जीप का बंपर उसकी मोटरसाइकिल के पीछे से टकरा गया था, जीप की जांच रिपोर्ट से विरोधाभासी था, जिसमें दर्ज किया गया था कि यह साबित नहीं होता कि जीप दुर्घटना में शामिल थी। इसलिए, उच्च न्यायालय को यह निर्धारित करने में खुशी हुई कि

और दुर्घटना के समय नहीं। विद्वान वकील ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने 'उचित संदेह से परे' के सिद्धांत पर मामले का गलत निर्णय लिया, जबकि मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्यवाही को संभावनाओं की प्रधानता के आधार पर तय करने की आवश्यकता थी और इस प्रकार, आवश्यक सबूत की मात्रा बहुत कम थी। इसके अतिरिक्त, मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्यवाही प्रतिकूल नहीं थी और उस संबंध में, रिकॉर्ड पर साक्ष्य इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त था कि प्रतिवादी संख्या 2 की लापरवाही दुर्घटना का कारण बनी और कि अपीलार्थी पूर्ण मुआवज़े का हकदार था। अंत में, अपीलार्थी को 40 प्रतिशत स्थायी अक्षमता और कार्यात्मक अक्षमता का सामना करना पड़ा और उस आधार पर, न्यायाधिकरण ने दोषियों को अधिक मुआवजा नहीं देकर गलती की।

अपीलार्थी। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि निचली अदालतों ने प्रतिवादी नंबर 1 बीमा कंपनी को उसके दायित्व से मुक्त करने में गलती की। विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुतियों के समर्थन में निम्नलिखित मामलों का हवाला दिया गया थाः कौश्रुमा बेगम और ओआरएस। बनाम। द न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड और Ors.[1], डुल्सिना फर्नांडीस और अन्य। बनाम जोकिम जेवियर क्रूज़ और Anr.2, बिमला देवी और ओआरएस। बनाम हिमाचल सड़क परिवहन

1 (2001) 2 एससीसी 9

2 (2013) 10 एससीसी 646 [2018] 5 एस. सी. आर.

निगम और Ors.[3], रवि कपूर बनाम राजस्थान राज्य, राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी और Ors.5, किशन गोपाल और अन्र। v लाला और Ors.6, हरबंस लाल बनाम परविंदर पाल, न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम पझानियामल और Ors.8, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम दीपक गोयल, मनीषा बनाम उमाकांत मरोतराव कोल्हे 1 0 10 और महावती देवी बनाम शाखा प्रबंधक 1 1। 8. हमने 2017 की एस. एल. पी. (सिविल) संख्या 28141 में प्रतिवादी Nos.2 और 3 के लिए विद्वान वकील सुश्री ऐश्वर्या भाटी और प्रतिवादी संख्या 28141 को भी सुना है। 1 और 2017 के एस. एल. पी. (सिविल) No.28142 में 2 क्रमशः, उल्लंघनकारी जीप के चालक और मालिक और प्रतिवादी संख्या 1 बीमा कंपनी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री के. के. भट। उनका कहना है कि

अपीलार्थी के पास दुर्घटना के समय वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और वह लापरवाही से सड़क के गलत तरफ गाड़ी चला रहा था। यहां तक कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत ड्राइविंग लाइसेंस भी एक अलग श्रेणी के वाहनों के लिए था, न कि मोटरसाइकिल के लिए, जिसे वह दुर्घटना के समय चला रहा था। इसके अलावा, न्यायाधिकरण उन गवाहों की जांच के बिना जिनके बयान पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी को आगे बढ़ाने के लिए दर्ज किए गए थे।

विषय दुर्घटना के संबंध में उसका निष्कर्ष केवल उस संबंध में आरोप पत्र दायर करने के कारण और किसी भी दोषसिद्धि के बारे में किसी भी जानकारी के बिना नहीं हो सकता था। केवल पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल करना ही पर्याप्त नहीं है। यह एक कानूनी सबूत नहीं है, इस तथ्य के निष्कर्ष को दर्ज करने के लिए बहुत कम पर्याप्त है कि या तो विचाराधीन जीप दुर्घटना में शामिल थी या प्रतिवादी संख्या 2 लापरवाही से उक्त वाहन चला रहा था। उच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट रूप से राय दी है कि न्यायाधिकरण द्वारा जीप के प्रतिवादी संख्या 2 चालक की ओर से लापरवाही के तथ्य पर कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया है और स्वयं की पुलिस रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि जीप दुर्घटना में शामिल नहीं थी।

9. इस मुद्दे पर कि क्या जीप का वैध रूप से बीमा किया गया था, सुश्री भाटी का तर्क है कि प्रतिवादी नंबर 3 के मालिक ने जीप का बीमा लिया था

और यहाँ तक कि उसी के लिए प्रीमियम का भुगतान किया और इसलिए, द्वारा ली गई कोई भी आपत्ति

3 3 (2009) 13 एस. सी. सी. 530 एम. 4 6 5 72015 ((ए. आई. आर. 2014 2012 2017)) एस. सी. सी. 9 1 एस. सी. सी. एस. सी. एस. सी. एस. सी. ऑनलाइन 5157 284 244 पी एंड एच 9926 8 2011 एस. सी. सी. ऑनलाइन केर 1881 9 2014 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 362 1 0 10 2015 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 4613

11 2017 एस. सी. सी. ऑनलाइन पैट 1145 मंगला राम बनाम।

मूल बीमा कंपनी। लिमिटेड। & ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

प्रत्यर्थी सं. 3 बीमा कंपनी कि ऐसा बीमा धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था, असमर्थनीय है। रिलायंस को न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड के निर्णय पर रखा गया है। बनाम रुला और ओआरएस 1 2, इसे मजबूत करने के लिए प्रस्तुत करना। श्री भट, हालांकि, तर्क देते हैं कि जीप का बीमा नहीं किया गया था और जिस कंपनी के अधिकारी ने कवर नोट जारी किया था, उसने धोखाधड़ी से इसे जारी किया था। यह संभव है कि उक्त अधिकारी ने कुछ कवर नोटों को पीछे कर दिया था, जिसके लिए उन्हें कंपनी से निष्कासित कर दिया गया था। उस संबंध में साक्ष्य निर्णायक है और उस संबंध में न्यायाधिकरण द्वारा एक निष्कर्ष निकाला गया है। श्री भट ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मीना वरियाल 1 3, मीनू बी मेहता और अन्न के निर्णयों पर निर्भर हैं। v बालकृष्ण रामचंद्र नयन & Anr.[1]4 और सुरेंद्र कुमार अरोड़ा & अन्न। डॉ. मनोज बिस्ला और अन्य। 1 5 15.

10. इन अपीलों में हमारे विचार के लिए जो विवादास्पद सवाल उठता है, वह 10 फरवरी, 1990 को हुई दुर्घटना में जीप No.RST-4701 की संलिप्तता के तथ्य पर न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज तथ्य के निष्कर्ष को उलटने में उच्च न्यायालय के फैसले के न्यायसंगत होने के बारे में है।

लगभग रात 8 बजे-8:30 बजे और जीप चालक की लापरवाही के कारण भी दुर्घटना हुई। पहले पहलू पर,

उच्च न्यायालय ने नोट किया है कि न्यायाधिकरण ने अपीलार्थी (दावेदार) द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य को खारिज कर दिया है, जो केवल प्राथमिकी और उल्लंघन करने वाले वाहन के चालक के खिलाफ दायर आरोप पत्र के आधार पर अपने निष्कर्ष पर आधारित नहीं हो सकता है और यह भी कि

जाँच रिपोर्ट (Exh.5) ने केवल संकेत दिया कि जांच के बाईं ओर

उल्लंघन करने वाले वाहन के बाएं टायर के मडगार्ड पर खरोंच का निशान देखा गया जो दावेदार के बयान का खंडन करता है और पुलिस जांच रिपोर्ट में वाहन की संलिप्तता को बहुत कम दिखाया गया है। दुर्घटना। लापरवाही के तथ्य पर दूसरे पहलू के संबंध में, उच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायाधिकरण ने इसके बारे में कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया

जीप के चालक की लापरवाही और स्थल का नक्शा (एक्सएच। 2) यह इंगित करेगा कि अपीलार्थी/दावेदार स्वयं सड़क के बीच में मोटरसाइकिल चलाने में लापरवाही कर रहा था।

11. जैसा कि उच्च न्यायालय के फैसले पर हमला किया गया है

12 (2000) 3 एससीसी 195 13 (2007) 5 एस. सी. सी. 428

14 4 (1977) 2 एस. सी. सी. 441

15 (2012) 4 एस. सी. सी. 552 [2018] 5 एस. सी. आर.

दुर्घटना में और उक्त वाहन के चालक (प्रतिवादी संख्या 2) द्वारा जल्दबाजी और लापरवाही से चलाए जाने के तथ्य पर भी, हमें न्यायाधिकरण के दृष्टिकोण की शुद्धता की भी जांच करने के लिए कहा गया है। हम इस तथ्य से अवगत हैं कि संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत एक अपील में, आम तौर पर यह न्यायालय साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन में खुद को शामिल नहीं करेगा, लेकिन निश्चित रूप से इसकी जांच कर सकता है।

न्यायाधिकरण या उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों को चुनौती देने पर विचार करने के लिए अभिलेख पर साक्ष्य, जो अभिलेख के सामने स्पष्ट त्रुटि से विकृत या भरा हुआ है और स्पष्ट रूप से गलत है। 12. अभिलेख पर आए साक्ष्य से, न्यायाधिकरण द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष कि अपीलार्थी अपनी मोटरसाइकिल चलाते समय

10 फरवरी, 1990 को रात 8 बजे से रात 8:30 बजे के बीच दुर्घटना जब एक जीप को जल्दबाजी और लापरवाही से चलाया जा रहा था, उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके परिणामस्वरूप वह नीचे गिर गया और उसके दाहिने पैर में गंभीर चोटें आईं, जिसे एमजीएच अस्पताल में घुटने के स्तर से ऊपर से काटने की आवश्यकता थी, हमें एक संभावित दृश्य लगता है। यह स्थिति पीडब्लू-1,2 और 4 के मौखिक साक्ष्य और पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र और उसके साथ दिए गए दस्तावेजों से स्थापित होती है। यहां तक कि

उच्च न्यायालय न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए इस निष्कर्ष से व्यापक रूप से सहमत है।

13. विवादास्पद मुद्दा जीप No.RST-4701 की संलिप्तता के तथ्य के बारे में है जो कथित रूप से प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा चलाई गई थी और क्या इसे लापरवाही से चलाया गया था जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटना हुई थी।

14. वास्तव में, न्यायाधिकरण ने जीप No.RST-4701 की भागीदारी के बारे में पीडब्लू-1, पीडब्लू-2 और पीडब्लू-4 के संस्करण को स्वीकार नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं किया है।

उनके संस्करण को पूरी तरह से त्याग दिया। इन गवाहों के साक्ष्य में इस हद तक कि उन्होंने लगातार कहा है कि जब अपीलकर्ता संबंधित समय पर अपनी मोटरसाइकिल पर सवार था, पनवाड़ा फांटा से बसनी जा रहा था और जब वह सिविया नाडा के पास पहुंचा, तो सलावा की ओर से तेज गति से आ रही एक हरी जीप ने मोटरसाइकिल को पीछे की ओर से टक्कर मार दी, जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी नीचे गिर गया और उसके दाहिने पैर सहित गंभीर चोटें आईं, जिसे अंततः घुटने के स्तर से ऊपर से काट दिया गया था। उल्लेखनीय है कि आपत्तिजनक वाहन को "जीप" के रूप में वर्णित करने के अलावा उन्होंने इसके रंग (हरा) के बारे में भी बात की है और कहा है कि यह जीप के किनारे पर कांग्रेस पार्टी के झंडे और बैनर प्रदर्शित कर रहा था। दूसरे शब्दों में, उनका संस्करण जीप संख्या को नोट करने तक सीमित है, मंगला रैम वी नहीं है।

स्वीकार कर लिया। इसके अलावा, न्यायाधिकरण ने प्रत्यर्थी नंबर 2 चैल सिंह (डी. डब्ल्यू.-1) और भंवर सिंह (डी. डब्ल्यू.-2) के साक्ष्य पर भरोसा किया, जिन्होंने कहा था कि जीप को पंजाब के सरपंच के चुनाव अभियान में तैनात किया गया था। सलावास रोड पर सोमदार गाँव और इस प्रकार दुर्घटना में वाहन की संलिप्तता से इनकार किया। फिर भी, न्यायाधिकरण ने दुर्घटना के संबंध में प्रत्यर्थी संख्या 2 को अभियुक्त के रूप में नामित करते हुए दायर प्राथमिकी और आरोप पत्र को स्वीकार कर लिया। न्यायाधिकरण ने रखा

चालान की प्रति (Exh.1), एफ़. आई. आर. की प्रति (Exh.32), स्थल मानचित्र (Exhs) पर निर्भरता। 3 & 4) , जीप जब्त रिपोर्ट (Exh.5), एक्स-रे (Exh.6) और चोट रिपोर्ट (Exh.7), यह राय देने के लिए कि अपराध की जांच के दौरान एकत्र किए गए इन पुलिस रिकॉर्ड ने न केवल पुष्टि की कि एक दुर्घटना हुई थी, बल्कि अपमानजनक जीप No.RST-4701 की संलिप्तता का भी संकेत दिया, जिसे संबंधित समय पर प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा चलाया गया था। न्यायाधिकरण ने यह निष्कर्ष निकाला कि इस संबंध में जांच एजेंसी की राय से असहमत होने का कोई कारण नहीं है। आरोप-पत्र के साथ अपीलार्थी और गवाहों रूपाराम, थानाराम और प्रताप सिंह के बयान भी थे। साक्ष्य की संपूर्णता के आधार पर, न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया था कि जीप No.RST 4701, जिसे संबंधित समय पर प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा चलाया गया था, दुर्घटना में शामिल थी, जिससे संबंधित व्यक्ति को गंभीर चोटें आईं।

अपीलार्थी।

15. हालाँकि, उच्च न्यायालय ने अनिवार्य रूप से दो मामलों पर न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए तथ्य के इस निष्कर्ष को उलट दियाः सबसे पहले, कि न्यायाधिकरण ने कथित रूप से प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा संचालित दुर्घटना में जीप No.RST 4701 की संलिप्तता के बारे में मौखिक साक्ष्य को खारिज कर दिया गया, केवल पुलिस आरोप पत्र का हिस्सा बनने वाले दस्तावेजों पर भरोसा करके प्रतिवादी Nos.2 और 3 के खिलाफ प्रासंगिक मुद्दे पर निष्कर्ष दर्ज नहीं कर सकता था और न ही करना चाहिए था। दूसरा, जीप जब्ती रिपोर्ट (एक्स. एच. एच.)। 5) इंगित किया कि वाहन के बाएं टायर के मडगार्ड पर केवल एक खरोंच देखी गई थी, जो अपीलार्थी के दावे का खंडन करती है।

वाहन की भागीदारी के बारे में।

16. सवाल यह हैः क्या उच्च न्यायालय के इस दृष्टिकोण को कानूनी रूप से कायम रखा जा सकता है? इसी तरह की स्थिति से निपटने के दौरान, बिमला देवी (उपरोक्त) मामले में इस अदालत ने बस के चालक और कंडक्टर के बचाव का उल्लेख किया, जो अन्य बातों के साथ-साथ पुलिस रिकॉर्ड पर संदेह करना था, जो दर्शाता है कि बस के पीछे खड़े व्यक्ति को बिना हॉर्न बजाए बस को पलटने पर सिर में चोट लगी थी। इस न्यायालय ने कहा कि धारा [2018] 5 एस. सी. आर. के संदर्भ में दावा याचिका पर विचार करते हुए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा के अनुसार, न्यायाधिकरण पक्षकारों की दलीलों को गंभीरता से नहीं लेता है, इसका कार्य उचित मुआवजे का निर्धारण करना है। पैराग्राफ 11-15 में, न्यायालय ने कहा

" 11. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के संदर्भ में एक दावा याचिका पर विचार करते समय, एक न्यायाधिकरण पक्षकारों की दलीलों से बाध्य नहीं है; इसका कार्य मोटर वाहन के चालक की लापरवाही के कारण दुर्घटना होने की स्थिति में उचित मुआवजे की राशि निर्धारित करना है। यह सच है कि अधिनियम की धारा 166 में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए दुर्घटना की घटना एक दावा याचिका पर विचार करने के लिए एक अनिवार्य शर्त है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि इस प्रभाव के सबूत के बावजूद कि दावेदार के पूर्ववर्ती की मृत्यु एक मोटर वाहन के कारण हुई दुर्घटना के कारण हुई थी, इसे केवल इस आधार पर नजरअंदाज किया जाएगा कि

दावे में किए गए अभिकथनों की तुलना में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट

याचिका।

12. मृतक सिपाही था। पुलिस के पास हुई थी मौत

स्टेशन। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि मृतक की मौत मस्तिष्क की चोट से हुई थी। दुर्घटना स्थल पुलिस स्टेशन से ज्यादा दूर नहीं है। इसलिए, बस के चालक की कहानी पर विश्वास करना मुश्किल है कि वह बस में सोया और सुबह उसे कंबल में लिपटा एक शव मिला। यदि सिपाही की मृत्यु पहले हुई होती, तो यह पूरी तरह से संभावना नहीं है कि धरमपुर जैसे छोटे से शहर में उसका शव पूरी रात अज्ञात रहता, खासकर जब वह बस स्टैंड पर और पुलिस स्टेशन के पास पड़ा होता। ऐसी स्थिति में, न्यायालय यह मान सकता है कि पुलिस अधिकारियों को स्वयं शव को अपने कब्जे में लेना चाहिए था।

13. विद्वान न्यायाधिकरण, हमारी राय में, सही है

इस आधार पर आगे बढ़े कि स्पष्ट रूप से उत्तरदाता 2 और 3 को गलत तरीके से फंसाने का कोई कारण नहीं था। द.

दावेदार घटना स्थल पर नहीं था। इसलिए, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होगी कि दुर्घटना कैसे हुई, लेकिन इस तथ्य को कि दुर्घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था।

मंगला राम वी. मूल बीमा कंपनी। लिमिटेड। & ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

14. दावेदार के गवाहों के साक्ष्य में कुछ विसंगतियाँ

हो सकता है कि ऐसा हुआ हो लेकिन न्यायाधिकरण के समक्ष मुख्य प्रश्न

और परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय के समक्ष यह था कि क्या

विचाराधीन बस दुर्घटना में शामिल थी या नहीं। इस उद्देश्य के लिए उक्त मुद्दे को निर्धारित करने के लिए, न्यायालय को लागू करने की आवश्यकता थी

प्रावधानों के संदर्भ में सबूत का बोझ अंतर्निहित सिद्धांत

साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106 के अनुसार क्या कोई मृत व्यक्ति

कंबल में लिपटा शव मौके पर मिला था

प्रारंभिक समय, जिसे उत्तरदाताओं द्वारा साबित करने की आवश्यकता थी 2

और 3.

15. इस प्रकार की स्थिति में, न्यायाधिकरण ने ठीक ही कहा है

उनके मामले को प्रमुखता की कसौटी पर स्थापित करें संभावना। उचित संदेह से परे प्रमाण का मानक

लागू नहीं किया जा सकता था। उक्त उद्देश्य के लिए, उच्च

न्यायालय को संबंधित बातों को ध्यान में रखना चाहिए था

दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत की गई कहानियाँ।

(जोर दिया गया)

17. न्यायालय ने इस कानूनी स्थिति को दोहराया कि दावेदार थे

मोटर दुर्घटना के मामलों से निपटने के दौरान न्यायाधिकरण द्वारा केवल उनके मामले को प्रायिकता की प्रधानता और उचित संदेह से परे सबूत के मानक के आधार पर लागू नहीं किया जा सकता है। उस मामले में भी, उच्च न्यायालय द्वारा न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए समान निष्कर्षों को उलटने के लिए लिए गए दृष्टिकोण को दरकिनार कर दिया गया था। बिमला देवी के मामले (ऊपर) में स्पष्टीकरण के बाद, परमेश्वरी (ऊपर) में इस अदालत ने कहा कि जब शिकायत दायर करना विवादित नहीं था, तो न्यायाधिकरण के फैसले को उच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर उलट नहीं दिया जाना चाहिए था कि कोई भी शिकायत को साबित करने के लिए एसएसपी के कार्यालय से नहीं आया था। न्यायालय ने पैराग्राफ 12 और 13 में चश्मदीद गवाहों की गवाही की सराहना की और इस प्रकार टिप्पणी की:

" 12. दूसरा आधार जिस पर उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया

उमेद सिंह की गवाही पर अविश्वास करने के लिए मामला चलाया गया था। पीडब्लू 1. उच्च न्यायालय का ऐसा अविश्वास पूरी तरह से अनुमान है। उमेद

सिंह अपीलार्थी से संबंधित नहीं है, बल्कि एक अच्छे नागरिक के रूप में, उमेद [2018] 5 एस. सी. आर.

सिंह ने अपीलार्थी को डॉक्टर के कक्ष तक पहुँचने में मदद करके अपनी सहायता प्रदान की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक घायल महिला

चिकित्सा उपचार मिलता है। उमेद सिंह के साक्ष्य पर सिर्फ इसलिए विश्वास नहीं किया जा सकता कि उन्होंने खुद शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। हम अपने अवलोकन को दोहराने के लिए विवश हैं कि उच्च न्यायालय का समग्र दृष्टिकोण, दुर्भाग्य से, पीड़ित की दुर्दशा की सराहना करने के लिए पर्याप्त संवेदनशील नहीं था।

13. उच्च न्यायालय के आदेश में दूसरा तथाकथित कारण यह था कि दुर्घटना के चार महीने बाद दावा याचिका दायर की गई थी, वही "बीमा कंपनी से पैसे हड़पने का एक उपकरण" है। किसी भी सामग्री के अभाव में यह खोज निश्चित रूप से विकृत है।

ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय इस सिद्धांत से अवगत नहीं है कि सड़क दुर्घटना के दावे में, एक आपराधिक मामले में सबूत के सख्त सिद्धांत

मामले आकर्षित नहीं होते हैं।

18. एन. के. वी. ब्रदर्स में इस उक्ति का विज्ञापन करना उपयोगी होगा। (पी) लिमिटेड बनाम एम. करुमई अम्मल और Ors.[1]6, जिसमें इसका विरोध किया गया था

वाहन का स्वामी कि दुर्घटना के संबंध में आपराधिक मामला बरी हो गया था और जिस कारण से मोटर वाहन अधिनियम के तहत दावा खारिज किया जाना चाहिए। इस न्यायालय ने उक्त तर्क को यह कहते हुए नकार दिया कि आई. पी. सी. के तहत दंडनीय दोषपूर्ण जल्दबाजी स्थापित करने के लिए आवश्यक सबूत की प्रकृति पर्याप्त लापरवाही से अधिक कठोर है।

दायित्व पैदा करने के लिए यातना के कानून के तहत। पैराग्राफ में किया गया अवलोकन 3 निर्णय से इस बात पर कुछ प्रकाश पड़ेगा कि मोटर दुर्घटना के मामलों में न्यायाधिकरण का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। वही इस प्रकार पढ़ता हैः

" 3. सड़क दुर्घटनाएँ हमारे देश में सबसे बड़े हत्यारों में से एक हैं, विशेष रूप से

जब ट्रक और बस चालक रात में काम करते हैं। यह कहावत लापरवाही अक्सर अदालतों को राजी करती है, जैसा कि देखा गया है।

हमारे द्वारा पहले अन्य मामलों में, रेस इप्सा लोकिटुर के सिद्धांत के आधार पर कई मामलों में प्रारंभिक अनुमान लगाने के लिए। दुर्घटना न्यायाधिकरणों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि निर्दोष पीड़ितों को परेशानी न हो और चालक और मालिक केवल किसी संदेह या किसी अस्पष्टता के कारण दायित्व से न बचें। साधारण मामलों को छोड़कर, दोषपूर्णता का अनुमान उन परिस्थितियों से लगाया जाना चाहिए जहां यह काफी उचित है। अदालत को अच्छाई, तकनीकी और रहस्यवादी आशंकाओं के आगे नहीं झुकना चाहिए। हम इस पहलू पर जोर दे रहे हैं क्योंकि हम अक्सर परिवहन संचालकों के परेशान होने से परेशान होते हैं।

16 (1980) 3 एस. सी. सी. 457 मंगला राम बनाम

मूल बीमा कंपनी। लिमिटेड। & ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

इस तथ्य के बावजूद कि वे सावधानीपूर्वक गाड़ी चलाने के मामले में चालकों पर पर्याप्त अनुशासनात्मक नियंत्रण का प्रयोग नहीं करते हैं, न्यायिक ढिलाई के कारण इसे दूर कर देते हैं। सार्वजनिक परिवहन के दोषी ड्राइविंग के भारी आर्थिक प्रभाव को मालिक और चालक को उनके पास लाना चाहिए।

अपने पड़ोसी के प्रति जिम्मेदारी। वास्तव में, राज्य को कानून द्वारा नो-फॉल्ट लायबिलिटी पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। दूसरा पहलू जो हमें दुखी करता है, वह है मुआवजे की अपर्याप्तता या न्यायाधिकरणों द्वारा अनुचित भेदभाव। हमें यह याद रखना चाहिए कि न्यायिक न्यायाधिकरण राज्य के अंग हैं और संविधान का अनुच्छेद 41 यह बताता है कि

नागरिकों के आकस्मिक अक्षमता के खिलाफ राज्य राहत के लिए न्यायशास्त्र की नींव। मुआवजे में लापरवाही का कोई औचित्य नहीं है। तीसरा कारक जो कष्टप्रद है, वह है दुर्घटना के मामलों के निपटारे में भारी देरी, जिसके परिणामस्वरूप मुआवजे, भले ही दिए गए हों, को कई वर्षों के लिए स्थगित किया जा रहा है। राज्यों को पर्याप्त संख्या में न्यायाधिकरणों की नियुक्ति करनी चाहिए और उच्च न्यायालयों को त्वरित निपटान पर जोर देना चाहिए ताकि पहले से ही हुए आघात और त्रासदी को न्याय में देरी के अन्याय से बढ़ाया न जा सके।

कई राज्य इस संबंध में अन्यायपूर्ण रूप से उदासीन हैं।

19. डुल्सिना फर्नांडीस (ऊपर) में, इस न्यायालय ने ऐसी ही स्थिति की जांच की जहां दावेदार के चश्मदीद गवाह के साक्ष्य को खारिज कर दिया गया था

प्रतिवादी के खिलाफ, प्रथम दृष्टया, उसे मुकदमे में डालने के लिए लापरवाही दिखाने वाली सामग्री पाई गई। न्यायालय ने इस तय किए गए सिद्धांत को दोहराया कि दावेदारों के साक्ष्य की जांच न्यायाधिकरण द्वारा संभावना की प्रधानता के आधार पर की जानी चाहिए और निश्चित रूप से उचित संदेह से परे प्रमाण के मानक को लागू नहीं किया जा सकता था जैसा कि बिमला देवी (उपरोक्त) में उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट किए गए निर्णय के पैराग्राफ 8 और 9 में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का कथन है। बनाम शीला दत्ता ", निम्नलिखित रूप में विज्ञापित किया गया हैः

" 8. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम शिला दत्ता ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत एक दावा याचिका की प्रकृति पर विचार करते हुए इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कुछ प्रस्तावों पर विचार किया है जिनमें से प्रस्ताव (ii), (v) और (vi) वर्तमान मामले के तथ्यों के लिए प्रासंगिक होंगे और इसलिए,

यहाँ नीचे निकाला गया हैः (एस. सी. सी पी. 518, पैरा 10)

17 (2011) 10 एससीसी 509 [2018] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

'10 . ((ii) अभिवचनों के नियम सख्ती से लागू नहीं होते हैं क्योंकि दावेदार को अधिनियम के तहत निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना आवश्यक है। वास्तव में, कोई दलील नहीं है जहाँ

न्यायाधिकरण द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्यवाही शुरू की जाती है।

*

*

(v) यद्यपि न्यायाधिकरण एक दावे पर निर्णय देता है और मुआवजे का निर्धारण करता है, लेकिन यह ऐसा नहीं करता है जैसा कि एक प्रतिकूल मुकदमे में होता है।

.....

(vi) न्यायाधिकरण से ऐसी संक्षिप्त प्रक्रिया का पालन करने की अपेक्षा की जाती है जो वह उचित समझे। यह एक या अधिक व्यक्तियों को चुन सकता है जिनके पास

जाँच आयोजित करने में सहायता करने के लिए जाँच से संबंधित मामलों का विशेष ज्ञान।

9. निम्नलिखित अवलोकन पैरा 10 में उपलब्ध है

रिपोर्ट के लिए विशिष्ट टिप्पणी की आवश्यकता होगीः (शिला दत्ता मामला, एस. सी. सी. पी. 519)

'10 . ..... हमने उपरोक्त प्रावधानों का उल्लेख यह दिखाने के लिए किया है कि न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए किसी निर्णय को किसी विवाद के पक्षकारों के बीच प्रतिकूल निर्णय के रूप में नहीं देखा जा सकता है, बल्कि ऐसी घटना होने पर मुआवजे के वैधानिक निर्धारण के रूप में देखा जा सकता है -

कानून के अनुसार, उचित जांच के बाद एक दुर्घटना। 9.99

रिपोर्ट किए गए निर्णय के पैराग्राफ 10 में [डुल्सिना फर्नांडीस और ओआरएस। (ऊपर)], न्यायालय ने राय दी कि गवाह की स्वयं जांच न करने को न्यायाधिकरण के समक्ष स्थापित दावे के लिए घातक नहीं माना जा सकता है। दूसरे शब्दों में, न्यायाधिकरण का दृष्टिकोण समग्र का समग्र विश्लेषण होना चाहिए।

संभाव्यता की प्रधानता के सिद्धांतों को लागू करके अभिवचन और साक्ष्य।

20. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में, अपीलार्थी का यह तर्क देना उचित है कि उच्च न्यायालय ने समग्रता को उलटने में स्पष्ट त्रुटि की है। विशेष रूप से आरोप-पत्र, एफ. आई. आर., जीप अभिग्रहण रिपोर्ट का हिस्सा बनने वाले गवाहों के बयानों के संदर्भ में न्यायाधिकरण का दृष्टिकोण, यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा संचालित जीप No.RST-4701 दुर्घटना में शामिल थी। वास्तव में, उच्च न्यायालय यांत्रिक जांच रिपोर्ट (एक्सएच) से प्रभावित था। 5) जिसमें कहा गया था कि वाहन के बाएं टायर के मडगार्ड पर

केवल खरोंच का निशान देखा गया था। उस आधार पर, यह देखने के लिए आगे बढ़ा कि यह अपीलार्थी (दावेदार) के दावे के विपरीत था, जिसमें मंगला राम बनाम की संभावना को खारिज कर दिया गया था।

मूल बीमा कंपनी। लिमिटेड। & ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

दुर्घटना में वाहन की भागीदारी। यह निष्कर्ष अनुमानों और अनुमानों पर आधारित है और इस प्रासंगिक तथ्य की अवहेलना करते हुए कि दुर्घटना की तारीख से केवल एक महीने के बाद ही पुलिस ने वाहन को जांच के बाद जब्त कर लिया था और इस बीच उसकी मरम्मत होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अन्य में

शब्दों में, दुर्घटना में जीप No.RST-4701 की संलिप्तता के बारे में पूरे साक्ष्य के समग्र विश्लेषण पर न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्ष को उलटने के लिए उच्च न्यायालय के साथ जिन कारणों का विचार किया गया, उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि, वे कारण अन्य भारी परिस्थितियों और साक्ष्य को प्रभावित नहीं करते हैं जो अभिलेख पर आए हैं और न्यायाधिकरण की भागीदारी के बारे में उनकी सराहना की गई है। विचाराधीन दुर्घटना में विषय जीप। यह मुख्य इमारत होने के कारण, जिसके लिए उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी Nos.2 और 3 द्वारा की गई अपील की अनुमति दी, यह आवश्यक रूप से जीप नं. दुर्घटना में आर. एस. टी.-4701 को अब तक उल्लिखित कारणों से बहाल करना होगा।

21. प्रतिवादी Nos.2 और 3 द्वारा दायर पहली अपील में हस्तक्षेप करने के लिए उच्च न्यायालय के साथ वजन करने वाला एक अन्य कारण, विषय जीप के चालक की लापरवाही के तथ्य के बारे में न्यायाधिकरण द्वारा निष्कर्ष का अभाव था। वास्तव में, यह दृष्टिकोण असमर्थनीय है। न्यायाधिकरण द्वारा किए गए विश्लेषण के बारे में हमारी समझ यह मानती है कि जीप नं। आरएसटी-4701 को उत्तरदाता संख्या 2 द्वारा जल्दबाजी और लापरवाही से चलाया गया था जब यह आरएसटी-4701 से टकरा गया था।

अपीलार्थी की मोटरसाइकिल दुर्घटना का कारण बनती है। इसे गवाहों के साक्ष्य और आरोप पत्र की सामग्री से समझा जा सकता है।

पुलिस द्वारा दायर, प्रतिवादी संख्या 2 का नाम। इस न्यायालय ने हाल ही में डुल्सिना फर्नांडीस (ऊपर) में निर्णय, नोट किया कि लापरवाही की कुंजी

दावेदारों द्वारा स्थापित किए गए उल्लंघनकारी वाहन के चालक की ओर से न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय लेने की आवश्यकता थी

संभाव्यता की प्रधानता और निश्चित रूप से उचित संदेह से परे प्रमाण के मानक द्वारा नहीं। यह देखने के लिए पर्याप्त है कि हमारे द्वारा पहले से ही दिए गए निर्णयों में, प्रतिवादी संख्या 2 के खिलाफ आरोप पत्र दायर करना, प्रथम दृष्टया वाहन को लापरवाही और जल्दबाजी में चलाने में उसकी संलिप्तता की ओर इशारा करता है। इसके अलावा, जब अभियुक्तों को आपराधिक मामले में बरी किया जाना था, तब भी इस न्यायालय ने राय दी कि न्यायाधिकरण द्वारा मोटर दुर्घटना के मामलों के संबंध में आवश्यक दायित्व के मूल्यांकन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। रिलायंस ने मीनू बी मेहता के फैसलों पर जोर दिया

(ऊपर) और मीना वरियाल (ऊपर), उत्तरदाताओं द्वारा, हमारी राय में, कोई लाभ नहीं है। इन मामलों में कथन [2018] 5 एस. सी. आर. के मुद्दे पर है।

संबंधित मामला। इसी तरह, सुरेंद्र कुमार अरोड़ा (ऊपर) के मामले में भी उक्ति का कोई फायदा नहीं होगा। वर्तमान मामले में, अभिलेख पर अभिवचनों, साक्ष्य और परिस्थितियों की संपूर्णता पर विचार करते हुए और विशेष रूप से न्यायाधिकरण द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष पर विचार करते हुए

प्रतिवादी संख्या 2 की लापरवाही, अपमानजनक जीप के चालक, उच्च न्यायालय ने एक विपरीत दृष्टिकोण लेने में स्पष्ट त्रुटि की, जो हमारी राय में, रिकॉर्ड के सामने एक स्पष्ट त्रुटि है और स्पष्ट रूप से गलत है।

22. कौश्रुमा बेगम (ऊपर) में, एक के साथ काम करते हुए

मोटर वाहनों के उपयोग से होने वाली दुर्घटना के संबंध में मुआवजा। कार्रवाई के इस तरह के कारण के लिए अन्य परिसर हैं। इसके बाद यह देखते हुए, न्यायालय ने रायलैंड बनाम फ्लेचर 1 8 में बताए गए सिद्धांत को अपनाया। पैराग्राफ 12-14 को पुनः प्रस्तुत करना उपयोगी हो सकता है जो इस प्रकार हैं:

" 12. भले ही मोटर वाहन के चालक या मालिक की ओर से कोई लापरवाही न हो, लेकिन दुर्घटना तब होती है जब वाहन उपयोग में था, क्या मालिक को नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जाना चाहिए

वह व्यक्ति जो इस तरह की दुर्घटना के कारण पीड़ित हुआ? यह

सवाल इस बात पर निर्भर करता है कि रायलैंड बनाम में नियम कितनी दूर है। फ्लेचर मोटर दुर्घटना के मामलों में आवेदन कर सकते हैं। उक्त नियम का सारांश दिया गया है ब्लैकबर्न, जे. द्वारा इस प्रकार:

' [टी] कानून का सच्चा नियम यह है कि वह व्यक्ति जो अपने उद्देश्यों के लिए अपनी भूमि पर लाता है, और वहां इकट्ठा करता है और रखता है। यदि कुछ भी गड़बड़ी करने की संभावना है, अगर वह बच जाता है, तो उसे अपने जोखिम में रखना चाहिए, और यदि वह ऐसा नहीं करता है, तो वह सभी नुकसान के लिए प्रथम दृष्टया जवाबदेह है जो इसके प्राकृतिक परिणाम हैं।

पलायन करें। वह यह दिखाकर खुद को माफ कर सकता है कि भागने का कारण वादी की चूक थी, या, शायद, कि भागने का कारण बड़ी गलती थी, या भगवान का कार्य था; लेकिन, क्योंकि यहाँ इस तरह का कुछ भी मौजूद नहीं है, इसलिए पूछताछ करना अनावश्यक है।

कौन सा बहाना पर्याप्त होगा। "

13. हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इस पर विचार किया और अनुपात को बरकरार रखा

निम्नलिखित उक्ति:

18 (1861-73) सभी ई. आर. प्रतिनिधि 1 मंगला राम बनाम।

मूल बीमा कंपनी। लिमिटेड। & ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

' हम सोचते हैं कि कानून का सही नियम यह है कि जो व्यक्ति अपने उद्देश्यों के लिए अपनी जमीन पर कुछ भी इकट्ठा करता है और वहाँ रखता है, अगर वह बच जाता है, तो उसे अपने जोखिम पर रखना चाहिए, और यदि वह ऐसा नहीं करता है, तो वह उन सभी नुकसान के लिए प्रथम दृष्टया जवाबदेह है जो उसके बचने का स्वाभाविक परिणाम है। वह यह दिखाकर खुद को माफ कर सकता है कि पलायन वादी के चूक के कारण था, या, शायद, कि पलायन विज़ मेजर, या भगवान के कार्य का परिणाम था; लेकिन, क्योंकि यहाँ इस तरह का कुछ भी मौजूद नहीं है, इसलिए यह अनावश्यक है

पूछिए कि कौन सा बहाना पर्याप्त होगा।

. उपरोक्त नियम ने अंततः इंग्लैंड और विदेशों में अदालतों द्वारा दिए गए बड़ी संख्या में निर्णयों में अनुमोदन प्राप्त किया। विनफील्ड टॉर्ट ने "रूल इन राइलैंड्स फ्लेचर" पर एक अध्याय भी प्रकाशित किया है। पी. 543 15 वीं ई. एन. प्रसिद्ध कृति ई विद्वान लेखक ने बताया है कि

' वर्षों से राइलैंड्स वी। फ्लेचर को विभिन्न प्रकार की चीजों पर लागू किया गया हैः आग, गैस, विस्फोट, बिजली,

तेल, हानिकारक धुआं, कोलियरी खराब, सड़े हुए तार से जंग लगे तार

बाड़, कंपन, जहरीली वनस्पति '।

उन्होंने रायलैंड बनाम में शासन के बल पर की गई कार्रवाई के खिलाफ सामान्य कानून में मान्यता प्राप्त सात बचावों का विस्तार से वर्णन किया है।

फ्लेचर। वे इस प्रकार हैंः (1) वादी की सहमति। ई. स्वेच्छा से गैर-उपयुक्त चोट।

(2) सामान्य लाभ अर्थात जहाँ वादी और प्रतिवादी के सामान्य लाभ के लिए खतरे के स्रोत को बनाए रखा जाता है, प्रतिवादी इसके भागने के लिए उत्तरदायी नहीं है। (3) अजनबी का कार्य अर्थात यदि पलायन किसी अजनबी के अप्रत्याशित कार्य के कारण हुआ था, तो नियम लागू नहीं होता है।

या जब कोई क़ानून अन्यथा प्रावधान करता है। (5) ईश्वर का कार्य या प्रमुख परिस्थितियाँ जिनके खिलाफ कोई मानव दूरदर्शिता प्रदान नहीं कर सकती है और जिनमें से मानव विवेक संभावना को पहचानने के लिए बाध्य नहीं है।

(6) वादी का चूक अर्थात यदि नुकसान केवल वादी के कार्य या चूक के कारण होता है, तो नियम लागू नहीं होगा।

(7) परिणामों की दूरस्थता यानी नियम को अनंत काल तक लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ब्लैकबर्न, जे. द्वारा बनाए गए नियम के निर्माण के अनुसार भी, प्रतिवादी केवल सभी नुकसान के लिए जवाबदेह है जो इसके प्राकृतिक परिणाम हैं।

भाग जाओ "।

पुनः, न्यायालय ने चरण लाल बनाम भारत संघ 1, यूनियन कार्बाइड कॉर्प में निर्णयों को स्वीकार करने के बाद। बनाम भारत संघ 2,20 गुजरात एस. आर. टी. सी. बनाम रमनभाई प्रभातभाई 21 2 1, पैराग्राफ 19 में

, इस प्रकार देखा गयाः

" 19. किसी भी अन्य सामान्य कानून सिद्धांत की तरह, जो हमारे न्यायशास्त्र के लिए स्वीकार्य है, रायलैंड v में नियम। फ्लेचर का कम से कम तब तक पालन किया जा सकता है जब तक कि कोई अन्य नया सिद्धांत जो पहले से बेहतर है, विकसित नहीं किया जा सकता है, या जब तक कि कानून अलग तरह से प्रदान नहीं करता है। इसलिए, हम मुआवजे के दावों में नियम को अपनाने के लिए तैयार हैं। मोटर दुर्घटनाओं का सम्मान।

20. ' मोटर वाहन अधिनियम की धारा 140 में परिकल्पित कोई दोष दायित्व सख्त दायित्व के नियम से अलग नहीं है। पूर्व में, मुआवजे की राशि तय की जाती है और देय होती है, भले ही नियम के किसी भी अपवाद को लागू किया जा सके। यह एक वैधानिक दायित्व है जिसके बिना दावेदार को उस गणना के तहत कोई राशि नहीं मिलनी चाहिए। मोटर वाहनों के उपयोग से उत्पन्न दुर्घटना के कारण मुआवजे का दावा सामान्य कानून के तहत कानून की सहायता के बिना भी किया जा सकता है। मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधान इस बात की अनुमति देते हैं कि "नो फॉल्ट लायबिलिटी" के तहत भुगतान किए गए मुआवजे को न्यायाधिकरण द्वारा दी गई अंतिम राशि से काटा जा सकता है। इसलिए, ये दोनों दो अलग-अलग परिसरों में आराम कर रहे हैं। इसलिए, हमारी राय है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 140 के अलावा भी, मोटर वाहन का उपयोग करते समय हुई दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति न्यायाधिकरण से मुआवजा प्राप्त करने का हकदार है, जब तक कि कोई भी अपवाद लागू नहीं होता है। इसलिए न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय ने दावेदारों को अलग करने में गलती की है

उन्हें देय मुआवजे का "।

0) 1 एस. सी. सी. 613

1) 4 एस. सी. सी. 584

7) 3 एस. सी. सी. 234 मंगला राम बनाम। मूल बीमा कंपनी। लिमिटेड। & ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

23. जो भी हो, अगला प्रश्न यह है कि क्या न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुँचने में उचित था कि अपीलार्थी ने भी लापरवाही की थी और

समान रूप से योगदान दिया, जो केवल साइट मानचित्र (एक्सएच) पर निर्भर करता है। 2) उस स्थान को इंगित करना जहाँ दुर्घटना के बाद मोटरसाइकिल पड़ी थी? हम अपीलार्थी की आलोचना में सार पाते हैं कि वह स्थान जहाँ

दुर्घटना के बाद मोटर वाहन पड़ा हुआ पाया गया था, यह मानने का आधार नहीं हो सकता है कि यह संबंधित समय पर उस स्थान पर या उसके आसपास चलाया गया था। यह सुरक्षित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि इस प्रकृति की दुर्घटना के बाद जिसमें अपीलार्थी को गंभीर चोटें आईं, जिससे घुटने के स्तर से ऊपर उसका दाहिना पैर काटने की आवश्यकता पड़ी, टक्कर के बाद मोटरसाइकिल को आगे धकेल दिया जाएगा और तेज गति से आ रही जीप से टकरा दिया जाएगा। न ही

न्यायाधिकरण और न ही उच्च न्यायालय ने पाया है कि स्थल मानचित्र में उल्लिखित स्थान, सड़क के बीच में एक पैर गलत दिशा में वह स्थान था जहां वास्तव में दुर्घटना हुई थी। हालाँकि, खोज यह है कि स्थल मानचित्र के अनुसार, मोटरसाइकिल उस स्थान पर पड़ी हुई पाई गई थी। यह मानने का आधार नहीं हो सकता है कि अपीलार्थी उपयुक्त समय पर सड़क के गलत तरफ मोटरसाइकिल चला रहा था। इसके अलावा, उत्तरदाताओं ने यह इंगित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया कि मोटरसाइकिल को उस समय सड़क के गलत तरफ चलाया जा रहा था जब उल्लंघन करने वाले वाहन ने उसे टक्कर मार दी थी। मामले के इस दृष्टिकोण में, न्यायाधिकरण का यह निष्कर्ष कि अपीलार्थी ने सड़क के गलत तरफ मोटरसाइकिल चलाकर दुर्घटना की घटना में योगदान दिया, स्पष्ट रूप से गलत है और इसे कायम नहीं रखा जा सकता है। उच्च न्यायालय ने कोई राय व्यक्त नहीं की है

इस मुद्दे पर, प्रतिवादी Nos.2 & 3 के पक्ष में उल्लंघन करने वाले वाहन की गैर-भागीदारी के बारे में मुद्दे का जवाब पहले ही दे दिया गया है।

सबूत। इसलिए इस तथ्य का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। परिणामस्वरूप, प्रत्यर्थियों का यह तर्क कि अपीलार्थी के पास दुर्घटना के समय वैध मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, नहीं होगा। महत्व। इस प्रकार, हम मानते हैं कि अपीलार्थी के खिलाफ अंशदायी लापरवाही के मुद्दे का जवाब देने के लिए कोई कानूनी सबूत नहीं है।

25. अगला सवाल अपीलार्थी को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि के बारे में है। न्यायाधिकरण ने इस दावे को नोट किया कि

अपीलार्थी कि वह भंवर लाल से अपने वेतन के लिए प्रति माह Rs.1500/- और भोजन भत्ते के लिए प्रति माह Rs.600/- प्राप्त कर रहा था। तथ्य यह है कि अपीलार्थी के पास भारी परिवहन मोटर वाहन [2018] 5 एस. सी. आर. था।

इसलिए, उस आधार पर आय के नुकसान की गणना की जानी चाहिए थी। इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी को अपने दाहिने पैर के विच्छेदन के कारण अपने जीवनकाल के दौरान स्थायी रूप से कृत्रिम पैर का उपयोग करने के लिए मजबूर किया जाएगा। नहीं। इस संबंध में न्यायाधिकरण द्वारा प्रावधान किया गया है। इन शीर्षों पर, अपीलार्थी निश्चित रूप से बढ़े हुए मुआवजे का हकदार है।

26. अगला सवाल मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए बीमाकर्ता के दायित्व के बारे में है। न्यायाधिकरण ने बीमा कंपनी को इस निष्कर्ष पर दोषमुक्त कर दिया है कि बीमा कंपनी को कोई प्रीमियम प्राप्त नहीं हुआ था और न ही उल्लंघन करने वाले वाहन के संबंध में बीमा कंपनी द्वारा कभी कोई बीमा पॉलिसी जारी की गई थी। उत्तरदाताओं ने नहीं। 2 और 3 ने एक कवर नोट पर भरोसा किया था जो प्रतिवादी संख्या 1 के अनुसार-बीमा

वाहन (जीप)। तथापि, प्रत्यर्थी Nos.2 और 3 का दावा इस हद तक कि उनके पास ओरिएंटल बीमा कंपनी के तत्कालीन विकास अधिकारी (प्रत्यर्थी संख्या 1) द्वारा जारी कवर नोट है, इस तथ्य के साथ स्वीकार किया गया कि यह इंगित करने के लिए कोई सकारात्मक सबूत नहीं है कि उक्त कवर नोट पूर्व दिनांकित है। उल्लेखनीय है कि कवर नोट तत्कालीन विकास अधिकारी द्वारा उस समय जारी किया गया था जब वे मंगला राम बनाम.

अभी भी प्रतिवादी नंबर 1 बीमा कंपनी के साथ काम कर रहा था। यह अवश्य होना चाहिए कि तत्कालीन विकास अधिकारी बीमा कंपनी की ओर से कार्य कर रहा था, भले ही प्रतिवादी संख्या 1 बीमा कंपनी किसी भी मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी न हो क्योंकि उल्लंघन करने वाले वाहन के संबंध में कोई बीमा पॉलिसी जारी नहीं की गई है, बहुत कम एक वैध बीमा पॉलिसी। लेकिन एक बिंदु पर प्रतिवादी संख्या 1 बीमा कंपनी के विकास अधिकारी द्वारा जारी कवर नोट के लिए

उस समय जब वह अभी भी प्रतिवादी संख्या 1 के साथ काम कर रहे थे, पर्याप्त न्याय करने के लिए, हम "भुगतान और वसूली" के सिद्धांत का आह्वान कर सकते हैं, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड के मामले में प्रतिपादित किया गया है।

बनाम स्वर्ण सिंह और Ors.[22]

27. मुआवजे की राशि की गणना पर लौटना, लेना

40 प्रतिशत की स्थायी अक्षमता के कारण मासिक आय का नुकसान,

अपीलार्थी रुपये 2,25,792/- [Rs.840 प्रति माह (यानी 2100/- रुपये का 40 प्रतिशत) + 40 प्रतिशत भविष्य की संभावनाएँ [प्रणय सेठी (ऊपर) के अनुसार] x 12 x 16, यानी (840 + 336) x 12 x 16 का हकदार होगा। हम दुर्घटना के बाद चिकित्सा उपचार, मोटरसाइकिल की मरम्मत, मानसिक और शारीरिक समस्या के लिए न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित राशि को बरकरार रखते हैं। तथापि, हमारी राय में, अपीलार्थी अतिरिक्त रूप से एक कृत्रिम पैर की खरीद के लिए चिकित्सा खर्च का हकदार है, जिसकी मात्रा Rs.25,000/है।

(केवल पच्चीस हजार रुपये)। संक्षेप में, अपीलार्थी निम्नलिखित मुआवजे का हकदार होगाः (i) दुर्घटना के बाद चिकित्सा उपचार

5,000 /

: रु.

((ख)

मोटरसाइकिल मरम्मत

: रु.

2,000 /

((iii) मानसिक और शारीरिक समस्याएँ

: रु.

0,000 /

@ (iv) आय की हानि के कारण

40 % स्थायी अक्षमता

: रु.

2,25,792 /

(v) कृत्रिम पैर की लागत

: रु. 25,000

/

कुलः रु. 2,77,792

/

(केवल दो लाख सत्ताईस हजार सात सौ नब्बे रुपये)

28. अपीलार्थी कुल राशि पर ब्याज का भी हकदार होगा।

दावा आवेदन दाखिल करने की तारीख से यानी 11 जून, 1990 से प्राप्ति की तारीख तक 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से मुआवजे की राशि।

22 (2004) 3 एस. सी. सी. 297 (पैरा 110)

उत्तरदाता अपीलार्थी को पहले से ही भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो, के समायोजन का हकदार होगा।

29. उपरोक्त शर्तों में लागत के साथ अपील की अनुमति है।

देविका गुजराल